



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक :- 11.07.2025

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 214/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को चोरी की गयी मोटर साइकिल UP76AV5721 टीवीएस स्पोर्ट्स सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री राजेश कुमार द्विवेदी कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 214/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्त धीरे पाण्डेय पुत्र रघुवंश पाण्डेय निवासी पुठरी थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ को मुखबिर खास की सूचना पर चोरी की गयी मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

(1) धीरे पाण्डेय पुत्र रघुवंश पाण्डेय निवासी पुठरी थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. विकास उर्फ गौरव चौहान पुत्र रामवक्श ठाकुर निवासी हरिपुर थाना किशनी जनपद मैनपुरी।
2. पीतम पुत्र पप्पू वाल्मीकि निवासी मो० दलमीर खाँ कस्बा व थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़।
3. सरजीत चौहान पुत्र नवाब सिंह निवासी विजय नगर थाना सिकन्दरपुर वैश्य जनपद कासगंज।

घटना का विवरण:- वादी श्री प्रिंस गुप्ता पुत्र मूलचन्द्र गुप्ता निवासी माझगाँव पूर्व थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना कम्पिल पर सूचना दी गई कि अज्ञात चोरों द्वारा मेरी दुकान का शटर खोलकर रुपये व किराना का सामान चुरा लिया गया है। तहरीर के आधार पर थाना कम्पिल पर दिनांक 20.05.2025 को मु०अ०सं०-81/2025 धारा-305/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया एवं दिनांक 02.03.2025 को वादी श्री वीरभान सिंह भदौरिया पुत्र स्व० नेकसे सिंह निवासी ग्राम गढिया जगन्नाथ थाना राजा का रामपुर जनपद एटा द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात चोरों द्वारा उसके खेत पर लगे ट्रांसफार्मर को खोलकर उसमें से तार व अन्य सामान को चोरी कर लिया गया है, वादी की सूचना के आधार पर थाना कम्पिल पर मु०अ०सं० 32/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मु०अ०सं०-81/2025 धारा-305/331(4) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. विकास उर्फ गौरव चौहान पुत्र रामवक्श ठाकुर निवासी हरिपुर थाना किशनी जनपद मैनपुरी 2. पीतम पुत्र पप्पू वाल्मीकि निवासी मो० दलमीर खाँ कस्बा व थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ 3. सरजीत चौहान पुत्र नवाब सिंह निवासी विजय नगर थाना सिकन्दरपुर वैश्य जनपद कासगंज तथा मु०अ०सं० 32/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. विकास उर्फ गौरव चौहान पुत्र रामवक्श ठाकुर निवासी हरिपुर थाना किशनी जनपद मैनपुरी 2. पीतम पुत्र पप्पू वाल्मीकि निवासी मो० दलमीर खाँ कस्बा व थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हम तीनों ने मिलकर दिनांक 20.05.2025 की रात में कस्बा कम्पिल में जैन धर्मशाला के पास परचून की दुकान का ताला तोड़कर चोरी की थी जिसमें हम लोगों को 15000 रुपये मिले थे तथा कुछ खाने पीने का सामान चोरी किया था जिसमें हम तीनों ने 05-05 हजार रुपये बांट लिये थे। तथा विकास उर्फ गौरव व पीतम उपरोक्त ने बताया कि हम दोनों फरवरी 2025 में कस्बा कम्पिल में चोरी करने के लिए आये थे लेकिन कहीं भी चोरी करने का मौका नहीं मिला तो वापस जाते समय बिल्सडी के जंगल में लगे ट्रांसफार्मर को नीचे गिराया तो गिरने से ट्रांसफार्मर का तेल फैल गया तथा ट्रांसफार्मर के अन्दर से कॉपर को हम दोनों ने चोरी कर लिया था जिसे हम दोनों ने राह चलते व्यक्ति को अगले दिन अलीगंज के पास 4000 रुपये में बेच दिया था जिसमें हम दोनों ने 02-02 हजार रुपये बांट लिये थे साहब आज भी हम लोग चोरी करने के लिए आये थे कि आप ने पकड़ लिया। साहब हमसे गलती हो गयी माफ कर दीजिए।

घटना का विवरण-

कोतवाली मोहम्मदाबाद पर दिनांक 10.07.2025 को वादी श्री निर्मल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नन्दसा थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ ने सूचना दी की वादी की मोटरसाइकिल UP76AV5721 टीवीएस स्पोर्ट्स अज्ञात चोर द्वारा मोहन टीवीएस एजेन्सी ग्राम तकीपुर कोतवाली मोहम्मदाबाद के पास से चोरी कर ली गई है। वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली मोहम्मदाबाद पर मु0अ0सं0 214/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुखबिर खास की सूचना पर दौराने चैकिंग अभियुक्त धीरे पाण्डेय उपरोक्त को चोरी की गयी मोटर साइकिल UP76AV5721 टीवीएस स्पोर्ट्स सहित गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

मोटर साइकिल सं0 UP76AV5721 टीवीएस स्पोर्ट्स।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त धीरे पाण्डेय उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करता हूं मुझे दिल्ली जाना था जिसके लिये मुझे पैसे की जरूरत थी इसलिए मैंने दिनांक 10.07.2025 को मोहन टीवीएस एजेन्सी तकीपुर से उपरोक्त मोटर साइकिल चोरी कर ली थी। आज मैं कहीं बाहर जाने की फिराक में था कि आपने मुझे पकड़ लिया। शेष सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त धीरे उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 214/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 राजेश कुमार
2. हे0का0 कौशलेन्द्र नारायण सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।